HARYANA GOVERNMENT
PERSONNEL DEPARTMENT
Notification

The 17th December, 2019

No.50/1/2019-5S(I) .–In exercise of the powers conferred by clause (2) of section 3 of the Punjab Restitution of Mortgaged Land Act, 1938 (Punjab Act IV of 1938 and sub- clause (b) of clause (9) of section 2 of the Indian Stamp Act,1899 (Central Act 2 of 1899), the Governor of Haryana hereby appoints all the Additional Deputy Commissioners as Collector to exercise all the powers of Collector under the said Acts, provided that the officer had ever exercised the powers of Collector under a specific order of Government as Assistant Commissioner or Extra Assistant Commissioner under the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) and the Punjab Tenancy Act, 1887 (Punjab Act 16 of 1887). The powers of Collector shall, however, be exercised by them while posted as Additional Deputy Commissioner.

Keshni Anand Arora,
Chief Secretary to Government, Haryana,

Dated Chandigarh,
the 11th December, 2019

No.50/1/2019-5S (1) Dated Chandigarh, the 17th December, 2019

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery, Government Press, U.T. Chandigarh for publishing the above Notification in part I of Haryana Government Gazette.

Fifty copies of the notification after publishing may please be supplied to the State Government.

Rashmi Grover
Deputy Secretary Administration
for Chief Secretary to Government, Haryana.

No.50/1/2019-5S (1) Dated Chandigarh, the 17th December, 2019

A copy, each, is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Administrative Secretaries to Government of Haryana.
2. All Heads of the Department in Haryana
3. Commissioner, Ambala/Hisar/Rohtak/Gurugram/Karnal/Faridabad Division.
4. All Deputy Commissioners, in Haryana State.
5. Special Secretary to Government, Haryana Revenue and Disaster Management Department
6. The Registrar, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh
7. Chief Administrator, Haryana Shahri Vikas Pradhikaran, Panchkula
8. All Land Acquisition officers in Haryana State
9. Director Urban Estates, Haryana Chandigarh,
10. Director General, Urban Local Bodies, Haryana Chandigarh
11. Director, Development and Panchayat, Haryana.

Rashmi Grover
Deputy Secretary Administration,
for Chief Secretary to Government, Haryana

हरियाणा सरकार
कार्मिक विभाग
अधिसूचना

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

संख्या 50/1/2019 5S(I) - पंजाब बंधकित भूमि प्रत्यास्थापन अधिनियम, 1938 (1938 का पंजाब अधिनियम IV)) की धारा 3 की उप–धारा (2) तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 2 की उप–धारा (9) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा उक्त अधिनियमों के अधीन कलक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को कलक्टर के रूप में नियुक्त करते है, बशर्ते कि उक्त अधिकारी द्वारा पंजाब भू–राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) और /या पंजाब अभिधृति अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 16) के अधीन सरकार के विशिष्ट आदेश के अधीन सहायक आयुक्त अथवा अतिरिक्त सहायक आयुक्त के रूप में पहले कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग किया हो। तथापि कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में तैनाती के दौरान उन द्वारा किया जाएगा।

दिनांक चण्डीगढ़
11 दिसम्बर 2019,

केशनी आनंद अरोड़ा
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

कमांक 50/1/2019 –5S(I)

दिनांक चण्डीगढ 17 दिसम्बर, 2019

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हरियाणा चण्डीगढ़ को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है। उनसे अनुरोध है कि इस आदेश को हरियाणा सरकार के राजपत्र मे प्रकाशित करे तथा इसकी 50 प्रतियां प्रशासन विभाग (सेवाऐ–1 शाखा) को भिजवाये।

उप सचिव, प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

कमांक 50/1/2019 –5S(I)

दिनांक चण्डीगढ 17 दिसम्बर 2019,

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

1 सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।
2 हरियाणा सरकार के सभी विभागों के प्रमुख।
3 आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुरूग्राम, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल।

–contd–

4 हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।
5 विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा सरकार।
6 रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़
7 मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधीकरण, पंचकूला
8 हरियाणा राज्य के सभी भूमि अधिग्रहण अधिकारी
9 निदेशक शहरी सम्पदा, हरियाणा।
10 महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा।
11 निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा।

राकेश कुमार

उप सचिव, प्रशासन
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।